

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

---कार्यालय आदेश---

का०आ०सं०— यो०स्था०७/१-०६/२०२५ 1314/यो०वि०, पटना, दिनांक 05 मार्च, 2025

दिनांक-06.02.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का आदेश संख्या-यो०स्था०७/०१-०१/२०२५-६३९ दिनांक-०३.०२.२०२५ एवं का०आ०सं०-७९७ दिनांक-११.०२.२०२५ द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) में से निम्न नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक सौंपा जाता है:-

क्र०सं०	पंजीयन सं०	समेकित मेधा क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम	जन्मतिथि	गृह जिला	प्रतिनियुक्त
11	BR00150010022869	156	शशि भूषण कुमार	18-Oct-85	जहानाबाद	पर्यटन विभाग
15	BR00150010045355	185	श्री बिकास दास	6-Feb-82	धनबाद (झारखंड)	पर्यटन विभाग
779	BR00150010000098	3012	श्री मनीष कुमार	15-May-93	बेगूसराय	पर्यटन विभाग
1209	BR00150010008161	8326	सुश्री/श्रीमती सारिका शालिनी	3-Jan-95	लखीसराय	पर्यटन विभाग
1216	BR00150010006590	8711	श्री विशाल कुमार	22-Dec-96	सहरसा	पर्यटन विभाग
1223	BR00150010029799	9465	श्री आशुतोष वत्स	31-Aug-98	समस्तीपुर	पर्यटन विभाग
1255	BR00150010068113	10741	सुश्री/श्रीमती पूर्णिमा भगत	18-Jan-97	रोहतास	पर्यटन विभाग
1272	BR00150010067256	11619	सुश्री/श्रीमती शीतल कुमारी	5-Jan-81	पटना	पर्यटन विभाग

- यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्यवाही भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय/विभाग अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं की शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।
- यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्यवाही की जायेगी।
- सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-10.03.2025 तक नव पदस्थापित कार्यालय/विभाग में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र, तकनीकी त्याग पत्र की स्वीकृति तथा विरमन आदेश (मूल में) एवं अन्य वांछित कागजात की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।



5. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय/विभाग से भुगतेय होगा। दिनांक-10.03.2025 तक योगदान की स्थिति में वेतन योजना एवं विकास विभाग में योगदान की तिथि से देय होगा। दिनांक-10.03.2025 के बाद जिस तिथि से पदस्थापित कार्यालय/विभाग में योगदान देंगे उस तिथि से वेतन देय होगा।
6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय/विभाग में पदस्थापित कनीय अभियंताओं (असैनिक) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. संबंधित कार्यालय/विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।
8. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृति करेंगे तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक योजना एवं विकास विभाग से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।
9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या-(PRAN No.) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।
10. अधिाचित विभाग के अन्तर्गत कनीय अभियंता की नियमित नियुक्ति अथवा अन्य स्रोत से सेवा प्राप्त होने के उपरांत प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं की सेवा उनके पैतृक विभाग को वापस कर दी जायेगी।
11. प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं के वेतनादि का भुगतान संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होंगे, के द्वारा किया जायेगा।
12. प्रतिनियुक्त कनीय अभियंताओं के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई संबंधित विभाग, जहाँ वे प्रतिनियुक्त होंगे, के स्तर से की जा सकेगी परन्तु यदि अनुशासनिक कार्यवाही का मामला बनता है तो उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर संबंधित पैतृक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
14. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

(रणजीत कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/1-06/2025 1314 /यो0वि0, पटना, दिनांक 05 मार्च, 2025
 प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/1-06/2025 1314 /यो0वि0, पटना, दिनांक 05 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- यो0स्था07/1-06/2025 1314 /यो0वि0, पटना, दिनांक 05 मार्च, 2025
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक/राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-07 को भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/1-06/2025 1314 /यो0वि0, पटना, दिनांक 05 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था07/1-06/2025 1314 /यो0वि0, पटना, दिनांक 05 मार्च, 2025
प्रतिलिपि: विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव